न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री लाखाराम, आर.ए.एस.**
राजस्व आवेदन संख्या : **41/2020**

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. नेनूदेवी पत्नी नरसींगाराम 2. पोकराराम पुत्र जोधाराम 3. रतनलाल पुत्र नरसींगाराम 4. हेमंती पुत्री नरसींगाराम, जातियान जाट निवासी, सुरते की बेरी पटवार क्षेत्र दूधू तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर, नाबालिग की कुदरती वली माता नेनूदेवी पत्नी नरसींगाराम जाति जाट निवासी सुरते की बेरी प्रार्थी संख्या 01।		1. अचलाराम पुत्र शिम्भूराम 2. खरथाराम पुत्र शिम्भूराम 3. धर्माराम पुत्र शिम्भूराम 4. लालाराम पुत्र शिम्भूराम 5. वागाराम पुत्र शिम्भूराम, जातियान जाट निवासी सुरते की बेरी, पटवार क्षेत्र दूधू, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर। 6. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मांगता। 7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, धोरीमना।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 (ख) राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010 वास्ते अपने संयुक्त खातेदारी खेत तक आने–जाने हेतु गैर मुमकिन रास्त घोषित करने

तारीख रजू : 22/03/2023

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

अधिवक्तागण :–

1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 08/08/23

प्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–251क का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण आपके उपखण्ड क्षेत्र के अधीन खातेदार व काश्तकार हैं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व खातेदारी खेत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आने–जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण को जोत तक पहुंचने के लिए नए रास्ते हेतु अनुमति चाहता है। उक्त अनुमति प्रार्थीगण को under sub-section (1) of secton 251-A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 के तहत सुविधा प्रदान की जावे। प्रार्थीगण की संयुक्त जोत का विवरण निम्नानुसार है। (क) ग्राम सुरते की बेरी पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना उपखण्ड क्षेत्र धोरीमन्ना। (ब) खसरा नम्बर 1232/1219 रकबा 7.9481 हैक्टेयर किस्म बा.दो.। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1232/1219 तक पहुंचने के लिए निम्न खातेदारों व खसरान की जोत में से नया रास्ता करने हेतु आवेदन किया है।

क्र. सं.	नाम मय वल्दियत उम्र जाति निवासी
1.	अचलाराम पुत्र शिम्भूराम उम्र 50वर्ष
2.	खरथाराम पुत्र शिम्भूराम उम्र 60वर्ष
3.	धर्माराम पुत्र शिम्भूराम उम्र 52वर्ष
4.	लालाराम पुत्र शिम्भूराम उम्र 65वर्ष
5.	वागाराम पुत्र शिम्भूराम उम्र 54 वर्ष, जातियान जाट निवासी सुरते की बेरी पटवार क्षेत्र दूधू तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

08.08.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

(2) ग्राम– सुरते की बेरी पटवार मण्डल दूधू तहसील धोरीमन्ना, उपखण्ड क्षेत्र धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।(3) विप्रार्थी संख्या 01 से 05 की खातेदारी खेत ग्राम सुरते की बेरी के खसरा नं. 1221 रकबा 6.0298 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से नया रास्ता (30 फिट) प्रस्तावित है जो परशिष्ट "ए" में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण ग्राम सुरते की बेरी के निवासी हैं तथा रास्ता प्रार्थीगण के ग्राम सुरते की बेरी के खसरा नम्बर 1232/1239 में आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 1221 में से प्रस्तावित किया है जो आगे ग्राम सुनारों की ढाणियां दूधू को जोड़ता है सरकारी सड़क/मार्ग ग्राम सुनारों की ढाणियां में स्थित है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक उपयुक्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही उपयुक्त व सुविधाजनक है।

कि माननीय न्यायालय द्वारा जो भी रकम प्रतिकर के रूप में नियमानुसार देय का आदेश देने पर जरिए चैक जमा करने के लिए प्रार्थीगण तैयार है। भूमिपति तहसीलदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। भूमि बैंक में रहन होने के कारण बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई। वादग्रस्त आराजी मौजा सुरते की बेरी पटवार क्षेत्र दूधू तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने से यह आवेदन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। आवेदन अंतर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम 2010 के तहत होने से निर्धारित न्यायशुल्क के रूप में 2/– रुपए के मुद्रांक साथ पेश है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण खातेदारी के खेत ग्राम सूरते की बेरी खसरा नम्बर 1232/1219 रकबा 7.9481 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तक आने–जाने के लिए नया रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से 05 की खातेदारी खेत ग्राम सुरते की बेरी के खसरा नम्बर 1221 क्षेत्रफल 6.0298 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से नया गैर मुमकिन रास्ता (30 फिट) स्वीकृत करने का कष्ट करावें। जो नक्शा ट्रेस में परिशिष्ट "ए" के अनुसार दर्शाया गया है। जिसको नक्शा ट्रैस में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 32 नियम 01 सपठित धारा 151 सीपीसी साथ संलग्न है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीगण को भेजे गए रजि. डाक की रसीदें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई। भेजे गए नोटिसों को 02 माह से अधिक समय हो जाने के कारण तथा न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। हस्तगत प्रकरण धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते रास्ते का होने के कारण तहसीलदार धोरीमना से संबंधित भू.अ.निरीक्षक से आवश्यक तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गई। बहस को समायत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार धोरीमना द्वारा भेजी गई मौका रिपोर्ट का गहनता से हमने अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में हमने तहसीलदार धोरीमना को क्रमांक/कोर्ट/2023/133 दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार धोरीमना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2023/724 दिनांक 19.04.2023 द्वारा आवश्यक मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा भिजवाई है। तहसीलदार धोरीमना द्वारा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण में रास्ते हेतु दर्शायी गई भूमि राजस्व ग्राम–सुरते की बेरी के खसरा सं. 1221 खातेदार लालराम, मगाराम, धर्माराम, [illegible]राम, खरथाराम पि. शम्भूराम कौम–जाट के नाम है, जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। भू.अ.निरीक्षक – दूधू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता ही एकमात्र आवागमन के लिए विकल्प है। प्रस्तावित रास्ता मौजा– सूरते की बेरी के खसरा सं. 1221 में लम्बाई 60 गट्ठा एवं चौड़ाई 4 गट्ठा अर्थात् 0.0971 हैक्टेयर है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 2,81,361 रुपए प्रति हैक्टेयर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

08.08.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है, रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:–

251(क) "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – (1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो इस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 251(क) में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। भू.अ.निरीक्षक दूधू की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे एवं जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 1232/1219 प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा खसरा सं[illegible] अप्रार्थीगण की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुंचने [illegible] एवं निकटतम रास्ता भू.अ. निरीक्षक दूधू की रिपोर्ट में बताया गया रास्ता ही है [illegible] रास्ता स्वीकृत हो जाने से प्रार्थीगण की पहुंच सरकारी सड़क मार्ग तक हो सकेगी। अतः हम भू.अ.नि. दूधू के प्रतिवेदन से सहमत है, अतः राजस्व मौजा सूरते की बेरी के खसरा संख्या 1221 में से कुल 0..971 हैक्टेयर (60 गट्ठा लम्बाई x 04 गट्ठा चौड़ाई) प्रस्तावित रास्ता की भूमि की प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

08.08.2[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

भू.अ.निरीक्षक दूधू के प्रतिवेदन के आधार पर खसरा सं. 1232/1219 में पहुंच हेतु खसरा सं. 1221 में से 0.0971 हैक्टेयर का रास्ता दिया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट में प्रस्तावित नजरी नक्शे में बरंग लाल के अनुसार राजस्व मौजा सुरते की बेरी पटवार हल्का दूधू के खसरा सं 1232/1219 में पहुंच हेतु खसरा सं. 1221 में से रकबा. 0.0971 हैक्टेयर अर्थात् 60 गट्ठा लम्बा एवं 04 गट्ठा चौड़े रास्ते की भूमि की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक सिवायचक गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। खसरा सं. 1221 की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर 2,81,361 रुपए प्रति हैक्टेयर है तथा स्वीकृत रास्ता भूमि के लिए प्रतिकर देय है अर्थात् 0.0971 हैक्टेयर भूमि की आनुपतिक वर्तमान डी. एल.सी. दर 27,320 रुपए बनती है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम –1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रतिकर राशि वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. की दर की दुगुनी अर्थात् 54,640 रुपए (अक्षरे चौपन हजार छह सौ चालीस रूपए मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार धोरीमना को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 1221 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

खसरा संख्या 1221 के खातेदारों द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, धोरीमना भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार धोरीमना को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

08.08.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक– 08/08/2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

08.08.23

उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested